# ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) चुराह, जिला चम्बा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अवधि 09 / 2007 से 03 / 2014

1 **प्रारम्भिकः–**

**(क)** हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3 / 2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तगत प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई– गवर्नेन्स सोसाईटी चुराह के अवधि 09 / 2007 से 03 / 2014 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण इस विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री संदीप कमल एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक श्री पंकज भ्रारिया द्वारा दिनांक 30.10.14 से 05.11.14 के दौरान भजराडू (तीसा) में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा का गठन सभाएं पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशाधित 1973) के अन्तर्गत दिनांक 13.06.2005 को पंजीकरण संख्या 3 / चम्बा / 2005 के अन्तर्गत हुआ एवं इसी पंजीकरण क अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) चुराह द्वारा दिनांक 27.09.07 से विधिवत कार्य प्रारम्भ हुआ। इस अंकेक्षण हेतु आय व व्यय की विस्तुत जांच हेतु माह का चयन इस प्रकार किया गया।

| **वितीय वर्ष** | **2007–08** | **2008–09** | **2009–10** | **2010–11** | **2011–12** | **2012–13** | **2013–14** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आय | 03 / 08 | 12 / 08 | 06 / 09 | 07 / 10 | 03 / 12 | 08 / 12 | 11 / 13 |
| व्यय | 01 / 08 | 03 / 09 | 07 / 09 | 07 / 10 | 06 / 11 | 08 / 12 | 10 / 13 |

**(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) चुराह में निम्नविवरणानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः–**

| **क्र0सं0** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| 1 | श्री राजीव शर्मा (एच0ए0एस0) | 04.01.07 से 07.01.08 |
| 2 | तहसीलदार चुराह | 08.01.08 से 15.02.08 |
| 3 | श्री मान सिंह (एच0ए0एस0) | 18.02.08 से 12.09.08 |
| 4 | तहसीलदार सलूनी | 13.09.08 से 27.03.09 |
| 5 | श्री आर0एस0 जसरेटिया (एच0ए0एस0) | 28.03.09 से 11.02.10 |
| 6 | श्री ए0आर0 शाह (एच0ए0एस0) | 15.02.10 से 08.8.11 |
| 7 | श्री मनोहर लाल (एच0ए0एस0) | 29.8.11 से 21.08.12 |
| 8 | श्री अमित मैहरा (एच0ए0एस0) | 23.08.12 से 31.01.13 |
| 9 | श्री पी0सी0 आजाद (एच0ए0एस0) | 01.02.13 से 25.05.13 |
| 10 | श्री राकेश वर्मा (एच0ए0एस0) | 27.05.13 से 04.03.14 |
| 11 | श्रीमती दीप्ती कपूर (एच0ए0एस0) | 04.03.14 से 22.03.14 |
| 12 | श्री कृष्ण चन्द (एच0ए0एस0) | 24.03.14 से 19.06.14 |
| 13 | श्री संजय धीमान (एच0ए0एस0) | 23.06.14 से 31.03.14 |

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | विवरण | ₹ लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | राजकीय कोष में राशि कम जमा करना | 0.64 |
| 2 | 5 | सेवा शुल्क (User Charges) की राशि को बैंक में जमा न करना | 0.07 |
| 3 | 6 | User Charges प्राप्त करने के 3 से 6 माह पश्चात राशि को सरकारी कोष में जमा करने के फलस्वरूप दण्ड ब्याज के रूप में राशि की वसूली न करने के बारे मे | 0.06 |
| 4 | 7 | भुगतान की गई राशि की पावती प्राप्त न करना | 2.62 |
| 5 | 8 | मुख्य प्रशासक की अनुमति के बिना (Hardware) सामग्री क्रय करने बारे | 0.15 |
| 6 | 10 | बिना निविदाएं आमन्त्रित किए सामग्री का क्रय करने बारे तथा भुगतान की गई राशि की वास्तविक रसीद प्रस्तुत न करने बारे | 0.30 |
| 7 | 11 | पटवारियों के वेतन के रूप में अनियमित भुगतान करना | 0.36 |

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चुराह द्वारा प्रदान की गई सूचना व अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की सूचना अथवा सूचना जा प्रदान नहीं की गई है के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी नहीं होगा।

## 2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चुराह के अवधि 09/2007 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹9000/– आंका गया। अकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को बैंक ड्राफट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 434 दिनांक 03.11.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए संस्था द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹9000/– हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक, भजराडू (तीसा) के बैंक ड्राफ्ट संख्या 854745 दिनांक 13.11.14 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई।

## 3 वित्तीय स्थितिः–

**(क)** ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) चुराह द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की अवधि 09/2007 से 31.03.2014 की वितीय स्थिति निम्न प्रकार सें है, एवं जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

| वितीय वर्ष | प्रारम्भिक शेष | आय | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007–08 | – | 24230 | – | 24230 | 6878 | 17352 |
| 2008–09 | 17352 | 91530 | 615 | 109497 | 12442 | 97055 |
| 2009–10 | 97055 | 102390 | 6043 | 205488 | 16792 | 188696 |
| 2010–11 | 188696 | 94450 | 7971 | 291117 | 16779 | 274338 |
| 2011–12 | 274338 | 64890 | – | 339228 | 69817 | 269411 |
| 2012–13 | 269411 | 68800 | – | 338211 | 12387 | 325824 |
| 2013–14 | 325824 | 154140 | – | 479964 | 420127 | 59837 |

| | |
|---|---|
| दिनांक 31.03.14 को रोकड़ बही का शेष | ₹59837 |
| दिनांक 31.03.14 को बैंक का शेष खाता संख्या 17710104216 हि0प्र0 स्टेट को0 बैंक, चुराह भजराड़ू | ₹93744 |
| **अन्तर** | **₹33907** |

**(ख) Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2014**

| | Particulars | |
|---|---|---|
| | **Balance as per Cash Book** | **59837** |
| (1) | Cheque No. 4365363 dated 19-03-10 issued to M\S Badyal infotech but not presented for payment | 2071 |
| (2) | Cheque No. 06600108 dated 30-04-13 issued to M\S Rathour offset Bhanjraroo but not presented for payment | 970 |
| (3) | Amount deposited into bank on 20.6.13 but not taken in cash book | 50 |
| (4) | Excess amount deposit of 5 on 23-01-14 | 5 |
| (5) | Excess amount deposit of 5 on 01-02-14 in the bank | 5 |
| (6) | Interest credit by the bank but not taken in cash book | |
| | 30-09-11 5163 | |
| | 31-03-12 5241 | |
| | 30-09-12 5717 | |
| | 31-03-13 6211 | |
| | 30-09-13 5889 | |
| | 31-03-14 2585 | 30806 |
| | **Balance as per Pass book** | **93744** |

**(i)** रोकड़ बही एवं बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि (आर0एल0ए0) चुराह द्वारा निम्नविवरणानुसार चैकों का भुगतान किया गया था, परन्तु इन चैकों को अंकेक्षण अवधि तक भुनाया नहीं गया था। यह सभी चैक अब कालातीत हो चुके है। अतः सम्बन्धित बैंक से नियमानुसार मामला उठाकर एवं समायोजन करने के पश्चात इन चैकों की राशि को पुनः सम्बन्धित खाते की प्राप्ति शीर्ष में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए चैकों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | चैक संख्या | राशि |
|---|---|---|
| 1 | Ch./ No. 4365363 dated 19.3.2010 | 2071 |
| 2 | Ch. No. 06600108 Dated 30.4.13 | 970 |

**(ii)** जांच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा ब्याज की प्रविष्टियां रोकड़ बही में नहीं की जा रही थी तथा बैंक में ज्यादा जमा करवाई गई राशि का समायोजन भी किया गया था जिस कारण से रोकड़ बही एवं बैंक के शेष का मिलान नहीं हो पा रहा था। अतः भविष्य में यथासमय पर ब्याज की प्रविष्टियां रोकड़ बही में करनी सुनिश्चित की जाएं।

**(iii)** अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जांच में यह भी पाया कि सोसाईटी द्वारा रोकड़ बही का रख–रखाव एच0पी0एफ0आर–1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 एवं ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के by laws में वर्णित नियम 6 के अनुसार नहीं किया गया था अर्थात प्रत्येक माह के अन्त में सम्बन्धित माह में प्राप्त की गई आय तथा उसमें किए कुल व्यय के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर तथा हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण देकर रोकड़ बही के शेष का बैंक के शेष से मिलान इत्यादि नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार रोकड़ बही तैयार करनी सुनिश्चित की जाए।

**4 राजकीय कोष में ₹64121/– कम जमा करने बारेः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनांक 03.09.05 के पैरा 3 (ए) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है। अंकेक्षणाधीन अवधि 09/2007 से 03/2014 के दौरान (आर0एल0ए0) चुराह द्वारा सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹598660 की वसूली की गई थी जिसके 25 प्रतिशत भाग की ₹149665/– राजकीय कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी लेकिन सोसाईटी द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नविवरणानुसार ₹85544/– ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई थी। इस प्रकार राजकीय कोष में (₹149665–₹85544=₹64121) कम जमा करवाई गइ थी।

| क्र0सं0 | चालान संख्या | जमा का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | चालान संख्या 3 दिनांक 4.6.13 | Head 0041-800-002 | 31712 |
| 2 | चालान संख्या 6 दिनांक 6.6.13 | Head 1055-800-002 | 53832 |
| | **कुल राशि** | | **₹85544** |

अतः राजकीय कोष में कम जमा करवाई गई ₹64121/– बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अविलम्ब इस राशि को राजकीय कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में नियमानुसार नियिमित रूप में राजकीय कोष में निर्धारित राशि

जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया कि उपरोक्त चालान संख्या 6 दिनांक 6.6.13 द्वारा राशि राजकीय कोष के Head 1055-Road Transport 800-Other Receipts में जमा करवाई गई थी जबकि पत्र संख्या 7–1 (189)/2011 Directorate of Trasport दिनांक 17.11.11 के अनुसार उपरोक्त राशि Head 0041-Taxes on Vehicle, 800-Other Receipts 02-Misc Receipts में जमा की जानी अपेक्षित थी। अतः इस सन्दर्भ में आन्तरिक जांच करके उपरोक्त राशि को उचित Head में हस्तांतरित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमों के अनुसार राशि राजकीय कोष के उचित Head में जमा करनी सुनिश्चित की जाए।

**5 सेवा शुल्क (User Charges) की ₹7170/– को बैंक में जमा न करने बारेः–**

**(क)** सेवा शुल्क (सारथी) के रूप में प्राप्त आय की नमूना जाँच में पाया कि माह 6/11 में सारथी Software में लाईसैन्स इत्यादि जारी करने के फलस्वरूप ₹3300/– की वसूली की गई थी लेकिन इस राशि की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं की गई तथा यह राशि बैंक में जमा के रूप में नहों पाई गई। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके इस राशि को रोकड़ बही म दर्ज किया जाए तथा बैंक में भो जमा करवाया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख)** जाँच में पाया कि दिनांक 01.09.11 से 31.03.12 के दौरान लाईसैन्स इत्यादि जारी करने के फलस्वरूप सेवा शुल्क (सारथी) के रूप में ₹27270/– की वसूली की गई थी लेकिन उक्त राशि में निम्न विवरणानुसार ₹23400/– ही बैंक में जमा करवाई गई थी। इस प्रकार सोसाईटी द्वारा (₹27270–₹23400=₹3870) कम जमा की गई थी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राशि रोकड़ बही तथा बैंक में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| दिनांक | रोकड़ बही पृष्ठ संख्या | जमा की गई राशि |
|---|---|---|
| 01.09.11 से 19.09.11 | पृष्ठ 23 | 3740 |
| 21.09.11 से 07.10.11 | 23 | 2030 |
| 08.10.11 से 19.10.11 | 23 | 490 |
| 21.10.11 से 16.11.11 | 24 | 2870 |
| 17.12.11 से 31.12.11 | 25 | 990 |
| 03.01.12 से 06.01.12 | 25 | 650 |
| 12.01.12 से 31.01.12 | 25 | 550 |

| | | |
|---|---|---|
| 14.01.12 से 23.02.12 | 25 | 7780 |
| 24.02.12 से 12.03.12 | 25 | 1120 |
| 13.03.12 से 31.03.12 | 25 | 3180 |
| **कुल जमा राशि** | | **₹23400** |

**6 User Charges प्राप्त करने के 3 से 6 माह पश्चात राशि को सरकारी कोष में जमा करने के फलस्वरूप दण्ड ब्याज के रूप में ₹6061/– की वसूली न करने के बारे में:–**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) चुराह में User Charges प्राप्त करने के 3 से 6 माह पश्चात ही राशि बैंक में जमा करवाई गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 के नियम 2.2 की अवहेलना थी क्योंकि देरी से राशि जमा करवाने पर इस अवधि में इस राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः निम्न विवरणानुसार राशि को देरी से जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में ₹6061/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे रोकड़ बही/बैंक में जमा करन के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| Period of Collection | Date of Deposit | Delay in Deposit | Amount | Panel Interest @ 18.5% |
|---|---|---|---|---|
| 18.5.11 to 31.5.11 | 20.9.11 | 4 Month | 1170 | 72 |
| 1.6.11 to 30.6.11 | 20.9.11 | 3 Month | 200 | 9 |
| 1.7.11 to 31.7.11 | 20.9.11 | 3 Month | 690 | 32 |
| 1.8.11 to 30.8.11 | 20.9.11 | 2 Month | 9510 | 293 |
| 1.9.11 to 19.9.11 | 20.9.11 | 15 Days | 4890 | 38 |
| 21.9.11 to 30.9.11 | 19.10.11 | 1 Month | 600 | 9 |
| 21.9.11 to 7.10.11 | 19.10.11 | 1 Month | 2030 | 31 |
| 1.10.11 to 7.10.11 | 19.10.11 | 15 Days | 700 | 5 |
| 20.10.11 to 16.11.11 | 21.11.11 | 1 Month | 7470 | 115 |
| 17.12.11 to 31.12.11 | 14.3.12 | 3 Month | 1690 | 78 |
| 3.1.12 to 7.1.12 | 14.3.12 | 2½ Month | 2100 | 81 |
| 12.1.12 to 13.1.12 | 14.3.12 | 2 Month | 550 | 17 |
| 8.1.12 to 23.2.12 | 14.3.12 | 2 Month | 2700 | 83 |
| 24.2.12 to 12.3.12 | 14.3.12 | 2 Month | 7780 | 240 |
| 13.3.12 to 31.3.12 | 14.3.12 | 15 Days | 1870 | 14 |
| 1.4.12 to 12.4.12 | 16.5.12 | 2 Month | 4080 | 126 |
| 13.4.12 to 30.4.12 | 16.5.12 | 1½ Month | 2300 | 53 |
| | 16.5.12 | 1 Month | 470 | 7 |
| 1.5.12 to 31.5.12 | 27.8.12 | 4 Month | 7380 | 455 |
| 1.6.12 to 30.6.12 | 27.8.12 | 3 Month | 6770 | 313 |
| 1.7.12 to 31.7.12 | 11.12.12 | 5½ Month | 6090 | 516 |
| 1.8.12 to 31.8.12 | 11.12.12 | 4 ½ Month | 4770 | 331 |
| 1.9.12 to 30.9.12 | 11.12.12 | 3½ Month | 2550 | 138 |
| 1.9.12 to 30.9.12 | 4.3.13 | 6 Month | 6740 | 623 |
| 1.10.12 to 31.10.12 | 4.3.13 | 5 Month | 3000 | 231 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.12 to 31.11.12 | 4.3.13 | 4 Month | 5470 | 337 |
| 1.12.12 to 31.12.12 | 4.3.13 | 3 Month | 6350 | 294 |
| 1.12.12 to 31.12.13 | 4.3.13 | 2 Month | 10110 | 312 |
| 1.1.13 to 31.01.13 | 4.3.13 | 1 Month | 6800 | 105 |
| 1.3.13 to 26.4.13 | 27.4.13 | 2 Month | 20670 | 637 |
| 16.9.13 to 28.9.13 | 1.11.13 | 1½ Month | 4360 | 101 |
| 9.10.13 to 31.10.13 | 1.11.13 | 20 Days | 6770 | 70 |
| 1.11.13 to 26.11.13 | 27.11.13 | 20 Days | 10420 | 107 |
| 27.11.13 to 25.12.13 | 26.12.13 | 25 days | 9230 | 119 |
| 4.1.14 to 22.1.14 | 23.1.14 | 15 Days | 6965 | 54 |
| 6.1.14 to 17.1.14 | 23.1.14 | 15 Days | 1910 | 15 |
| | | **दण्ड ब्याज की कुल राशि** | | **₹6061** |

## 7 भुगतान की गई ₹262845/–की पावती प्राप्त न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.14 तक ₹262845/– का भुगतान अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा को कुल सेवा शुल्क के 50**%** भाग के रूप में किया गया था, परन्तु अभिलेख हेतु रसीदें प्राप्त नहीं की गई जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में प्रत्येक भुगतान की रसीद यथासमय प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

| चैक संख्या/दिनांक | भुगतान की तिथि | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|
| चालान संख्या 499430 दिनांक 13.8.13 | 13.8.13 | 172000 |
| चालान संख्या 499437 दिनांक 03.01.14 | 3.1.14 | 53128 |
| चालान संख्या 499443 दिनांक 12.03.14 | 10.3.14 | 37717 |
| | **योग** | **₹262845** |

## 8 मुख्य प्रशासक की अनुमति के बिना ₹15260/– की (Hardware) सामग्री क्रय करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के Bye Laws की मद संख्या 8.1 के अनुसार No item of hardware shall be purchased without the prior opproval of Chief Administrator." जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर चुराह द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹15260/– के प्रिन्टर का क्रय मुख्य प्रशासक की पूर्व अनुमति के बिना किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill No. 1005 dated 26.9.11 | H.P. Printer all in one 209 G Inkjet | 9470 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | M/S Bits n bytes Chamba Bill No. 1723 dated 17.5.13 M/S Bytes Chmaba | Printer, Scanner & Copier Printer HP Deskjet all in one, Printer Scanner & Copier | 5790 |
| | | **योग** | **₹15260** |

## 9 प्राप्ति एवं भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारेः—

चयनित माहों की जांच के दौरान पाया कि सोसाईटी द्वारा अवधि 27.9.07 से 30.11.10 के दौरान लाईसैन्स इत्यादि (सारथी) जारी करने पर प्राप्त सेवा शुल्क आय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए। अतः इन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार भुगतानों से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनके अभाव में प्राप्त की गई आय एवं भुगतान की सत्यता की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

| क्र0सं0 | चयनित माह | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|
| 1 | 01/08 | 6878 |
| 2 | 03/09 | 12442 |
| 3 | 07/09 | 12271 |
| 4 | 07/10 | 9486 |
| 5 | 06/11 | 26000 |

उक्त के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 433 दिनांक 03.11.14 द्वारा उपमण्डल अधिकारी, चुराह को सूचित किया गया था लेकिन सोसाईटी द्वारा इन अभिलेखों को उपलब्ध करवाने बारे कोई भी प्रयास नहीं किए गये। अतः प्राप्त आय एवं भुगतानों से सम्बन्धित दस्तावेज आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाए।

## 10 बिना निविदाएं आमन्त्रित किए ₹30120 की सामग्री का क्रय करने बारे तथा भुगतान की गई राशि की वास्तविक रसीद प्रस्तुत न करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/— से अधिक की खरीद निविदाएं आमन्त्रित करके की जानी अपेक्षित थी परन्तु सोसाईटी निम्नविवरणानुसार सामग्री का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए किया गया था जोकि उपरोक्त वर्णित नियम के विपरीत है। यदि सामग्री का क्रय निविदाएं आमन्त्रित करके किया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

| क्र0सं0 | माह | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 | Bill No. 1005 dated 26.9.11 | H.P. Printer | 9470 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | M/S Bites n Bytes Chamba | | |
| 2 | 04/13 | Bill No. 1636 dated 20.3.13 M/S bites n bytes Chamba | Stationary | 4080 |
| 3 | 05/13 | Bill No. 1723 dated 17.5.13 M/S bites n bytes Chamab | Printer | 5790 |
| 4 | 06/13 | Bill No. 1759 dated 26.6.13 M/S bites n bytes Chamba | Laser toner Cartridge 53A | 5240 |
| 5 | 09/13 | Bill No. 1854 dated 24.9.13 M/S bites n Bytes Chamba | Cartridge | 5540 |
| | | | **योग** | **₹30120** |

इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान की गई राशि की वास्तविक भुगतान रसीदें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाये एवं भविष्य में प्रत्येक भुगतान की वास्तविक रसीदें यथासमय पर प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाये।

## 11 पटवारियों के वेतन के रूप में ₹36668/– का अनियमित भुगतान करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) चुराह के खाते से निम्नविवरणानुसार ₹36668/– का भुगतान पटवारियों के वेतन के रूप में किया गया था जबकि (आर0एल0ए0) की नियमावली में इस प्रकार के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि (आर0एल0ए0) के खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही व्यय करना सुनिश्चित करें।

| क्र0सं0 | चैक संख्या | माह | भुगतान की राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | चालान संख्या 4365369 दिनांक 01.06.11 | 06/11 | 26000 |
| 2 | चालान संख्या 4365371 दिनांक 26.7.11 | 07/11 | 10668 |

## 12 Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार न करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनांक 03.09.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा आय–व्यय क लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement

तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर चुराह द्वारा Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में सैन्टर द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में अर्जित किए आधिक्य इत्यादि के अतिरिक्त सैन्टर के पास उपलब्ध सम्पत्ति एवं सैन्टर की देनदारियो ंकी सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः अविलम्ब नियमों के अनुसार Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार करनी सुनिश्चित की जाए एवं आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

**13 Daily Collection Register का निर्माण न करने बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) चुराह द्वारा Daily Collection Register का निर्माण नहीं किया गया था जिसके अभाव में आय की सही प्रकार से जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त रजिस्टर यथाशीघ्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**14 भण्डार के रख–रखाव के बारे मेंः–**

हिमाचल पदेश वित्त नियम–1971 खण्ड–1 के नियम 15.10 के अनुसार स्थाई एवं अस्थाई सामान का भण्डार रजिस्टर अलग–2 तैयार करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के Bye Laws की मद संख्या 9 में भी इसी प्रकार से भण्डार के रख–रखाव करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर चुराह में इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है एवं सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में अव्यवस्थित तरीके से किए जा रहा था। उदाहरणस्वरूप भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 4 में Printers, Stationary एवं Cartridge इत्यादि अलग–2 प्रकृति की सामग्री का इन्द्राज एक ही पृष्ठ में किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर तैयार किए जायें एवं सम्बन्धित रजिस्टर में क्रय की सामग्री के दर्ज करने के लिए अलग–2 पृष्ठ आंबटित किए जायें एवं क्रय की गई प्रत्येक सामग्री की प्रविष्टियाँ इनमें करनी सुनिश्चित की जायें।

**15 प्रत्यक्ष सत्यापनाः–**

नियमानुसार भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना अनिवार्य होता है परन्तु जाँच में पाया कि (आर0एल0ए0) चुराह द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वाँछित कार्रवाई अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**16 विविधः–**

केन्द्रीय ईकाई चम्बा से समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (RLA) चुराह को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) चुराह से केन्द्रीय ईकाई चम्बा को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई चम्बा से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**17** **लघु आपत्ति विवरणीः**– लघु आपत्तियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। अतः यह अलग से जारी नहीं की गई थी।

**18** **निष्कर्षः**– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 31/2014 खण्ड–1–2746–2750 दिनांक, 08.04.2015
शिमला–171009

**पंजीकृतः**–1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सेन्टर (आर0एल0ए0) चुराह, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश चम्बा जिला चम्बा (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा.........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009